न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–अंजना सहरावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 85 / 2017 (2017 / 00153) प्रार्थना पत्र

उनवान

1. उदयराम आत्मज हीरा जी माली आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद आत्मज रामचंद्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. गोविंद आत्मज रामचंद्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मुरली आत्मज रामचंद्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. प्रकाश आत्मज रामचंद्र सुथार निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. रामलाल आत्मज बख्तावर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. तारा देवी पत्नि रामलाल माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. गीतादेवी पत्नि गोपीलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. प्रेमदेवी पत्नि नारायणलाल पुर्बिया गाडरी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. भैरू आत्मज बरदा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर – अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 26.10.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 364 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 373 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 374 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 56 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी वगैरा चराने मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 09 प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ के पडोसी होने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात कि पत्थरगढी कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिंनाक 08.06.2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश

होना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 08.06.17 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 24.07.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी सं0 01 से 09 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 364 रकबा 0.46 हैक्टेयर, 365 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 368 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 373 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 374 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 56 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमीश्नर फीस 250/– अक्षरे दौ सौ पचास रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

अंजना सहरावत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 26.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा